

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2744
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय पदों की रिक्तियां

2744 # डा. भीम सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), में संकाय पदों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन रिक्तियों को भरने तथा शोध अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और बिहार में स्थित विश्वविद्यालयों सहित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थाओं के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्ति संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित है।

रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या एवं मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के नाते अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने हेतु विशेष अभियान चलाएं। केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने हेतु प्रोत्साहित भी किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का पुनः अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं ने रिक्तियों को भरने हेतु मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तिथि) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार, मंत्रालय ने एम्स में स्वीकृत संकाय पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें (i) संकाय आदि के चयन हेतु प्रत्येक संस्थान में उनके संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक स्थायी चयन समिति (एसएससी) का गठन, (ii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) से 70 वर्ष की आयु तक नए एम्स में संविदा आधार पर प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर सेवानिवृत्त संकाय की नियुक्ति का प्रावधान, (iii) भारत के भीतर सरकारी संस्थानों अथवा भारत के बाहर शैक्षणिक संस्थानों में अकादमिक पदों पर नियुक्त प्रोफेसरों, अतिरिक्त प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को शिक्षण प्रयोजनों आदि के लिए नए एम्स में विजिटिंग संकाय बनने की अनुमति देने हेतु विजिटिंग फैकल्टी योजना तैयार करना शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत की गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नालंदा विश्वविद्यालय में संकाय नियुक्तियां अधिनियम के उपबंधों और संबंधित संविधियों के अनुसार, विश्वविद्यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर और शासी बोर्ड के अनुमोदन से की जाती हैं। विश्वविद्यालय विशेष अनुसंधान केंद्रों, शैक्षणिक और अनुसंधान बुनियादी ढांचे, सहयोगी अनुसंधान, संकाय विकास और उन्नत अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना जारी रखता है।